/137874/2023

राज्य योजना आयोग
नियोजन विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

संख्याः 1066/508/आ0वि0का0/रा0यो0आ0/2019
देहरादूनः दिनांकः 14 जुलाई, 2023

अधिसूचना

आप विदित है कि राज्य योजना आयोग, नियोजन विभाग की अधिसूचना संख्या–751/508/आ0वि0का0/रा0यो0आ0/2019, दिनांक 24 मई, 2023 में नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा संचालित **"आकांक्षी विकासखण्ड़ कार्यक्रम"** के अन्तर्गत नीति आयोग, भारत सरकार के निर्धारित मानकों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य से 06 आकांक्षी विकासखण्डों का चयन किया गया है। उक्त के अतिरिक्त राज्य स्तर पर निम्नलिखित 09 विकासखण्ड़ों को **"आकांक्षी विकासखण्ड़ कार्यक्रम"** में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है–

क्र.सं.	जनपद	विकासखण्ड
1	चम्पावत	चम्पावत
2	अल्मोड़ा	धौलादेवी
3	नैनीताल	ओखलकाण्डा
4	टिहरी गढ़वाल	जाखणीधार
5	पौड़ी गढ़वाल	बीरोंखाल
6	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि
7	चमोली	जोशीमठ
8	देहरादून	कालसी
9	पिथौरागढ़	धारचूला

उपर्युक्त चयनित विकासखण्ड़ों को नीति आयोग, भारत सरकार के Aspirational Block Programme के लिये निर्धारित अनुश्रवणात्मक संकेतांकों की तर्ज पर संचालित किया जायेगा। सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा उपर्युक्त विकासखण्डों हेतु मुख्य विकास अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित कर सूचना राज्य योजना आयोग, नियोजन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

राज्य स्तर पर अनुश्रवणात्मक संकेतांकों की समीक्षा हेतु Portal/Dashboard तैयार कर सम्बन्धित नोडल अधिकारियों से यथावश्यकता सूचना प्राप्त की जायेगी। तद्‌सम्बन्ध में सम्बन्धित नोडल अधिकारियों/कार्मिकों को प्रशिक्षण दिये जाने हेतु पृथक से निर्देश जारी किये जायेंगे।

भवदीय

Signed by R. Meenakshi Sundaram
Date: 14-07-2023 10:53:46

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।

संख्या–1066/508/आ0वि0का0/रा0यो0आ0/2019 तद्‌दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
2. सचिव मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
10. उप निदेशक, गढ़वाल/कुमाऊँ।
11. समस्त जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सी0पी0पी0जी0जी0, उत्तराखण्ड।

Signed by Rajesh Singh Lodhi
Date: 14-07-2023 10:55:44

(राजेश सिंह लोधी)
संयुक्त निदेशक।